



भाकृअनुप - औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय
बोरीआवी - 387 310, आणंद, गुजरात, भारत.

ICAR-Directorate of Medicinal and Aromatic Plants Research
Boriavi - 387 310, Anand, Gujarat, India.

Ph. No: (02692) 271600, 05, 06 Fax: (02692) 271601 Website: <https://dmapr.icar.gov.in/>



F.NO.44-04/2021-22/STORE/ 13428-444

Date-12 /01/2022

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुपयोगी वस्तु की नीलामी दिनांक 19-01-2022 को इस निदेशालय में की जाएगी।

क्रमांक	वस्तु का नाम	संख्या/वजन
1	Chemical Rate Contract books etc.	40 किलो लगभग
2	Laboratory Steel Sink	19
3	Tyre tube of Office Vehicle Swaraj Mazada Bus	07
4	Tyre tube of Office Vehicle Tata Sumo	05
5	Tubless tyre of Office vehicle Scrpio tubless tyre	08
6	Replaced Damaged Parts of Vehicle Swaraj Mazda Bus, Tata Sumo & Scorpio	55 किलो लगभग
7	Wooden doors	02
8	PVC doors	06
9	Cushion seat of Swaraj Mazda	10 लगभग
10	Empty Chemical bottles	1000 किलो लगभग

इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त भंडार का माल/सामान किसी भी कार्यालय समय के दिन 14.30 से 16.30 के अंदर निरीक्षण कर सकते हैं।


नीलामी की शर्तें :

- 1) प्रत्येक बोलीदाता की बोली लगाने के पहले जमानती तौर पर 1000/- रुपये कार्यालय में नीलामी के दिन जमा करना होगा। सफल बोलीदाता को बोली राशी का 50 % भुगतान उसी समय तथा शेष रकम 50 % रकम बोली की स्वीकृति के 24 घंटे के अंदर भुगतान कर सामान ले जाना होगा। उपरोक्त समयावधि के बाद किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी निदेशालय की नहीं होगी तथा जमा की गयी राशी जप्त कर ली जाएगी।



- 2) धरोहर राशी नीलामी तिथि 19-01-2022 को सुबह 11.00 से 12.30 बजे तक रजिस्ट्रेशन काउन्टर पर जमा करानी होगी।
- 3) बोली शुरु होने से पहले प्रत्येक बोली दाता की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी शर्तें ध्यान से सुन ले तथा नोटिस भली-भांती पढ़ ले।
- 4) बोली कम से कम 200/ रुपये के अंतर से ही बढ़ाई जाएगी (क्रमांक 2 के सिवाय)।
- 5) बोली लगाने वाले को माल ले जाने आदी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 6) माल "जहां है जैसा है" के आधार पर नीलाम किया जाएगा।
- 7) सफळ बोलीदाताओं को भुगतान डिजिटल एस.ओ.पी पेमेंट (Digital payment/Swipe Machine) के माध्यम से करना होगा एवं असफल बोली दाताओं को धरोहर राशि उसी दिन वापस कर दी जाएगी।
- 8) निदेशालय के निदेशक महोदय को यह अधिकार होगा की वे सभी अथवा आंशिक नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। जिसके लिए निदेशालय के किसी भी व्यक्ति को लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- 9) निदेशक महोदय का नीलामी के बारे में निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
- 10) Covid-19 से संबंधित समय समय पर जारी माहिय एवं निदेशों का बोलीदाताओं को पूर्णतया से पालन करना होगा।

Rubhu
12-1-2022


प्रशासनिक अधिकारी 12/01/2022